न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 62/17 GCMS NO 2017/00172

1. हीरालाल पुत्र बंशी जाति जाट निवासी डफलपुर तहसील करौली (मृतक)

1/1. मोहन सिह पुत्र स्व0हीरालाल निवासी डफलपुर तहसील करौली

1/2. श्रीमती कमला पुत्री स्व0हीरालाल पत्नि जगदीश जाति जाट निवासी डफलपुर जिला करौली हाल निवासी शेखपुर तहसील वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर

1/3. केशन्ती पुत्री स्व0हीरालाल पत्नि श्यामलाल जाति जाट निवासी डफलपुर तहसील करौली हाल निवासी क्यारदा कलां तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

1/4. श्रीमती चिरमा पुत्री स्व0हीरालाल पत्नि रूपसिह जाति जाट निवासी डफलपुर हाल निवासी क्यारदा कलां तहसील हिण्डौन जिला करौली

1/5. अभिषेक पुत्र स्व0देवी सिह

1/6. श्रीमती शांति देवी पत्नि स्व0देवी सिह जातियान जाट निवासीयान डफलपुर तहसील करौली

1/7. श्रीमती पदमा उर्फ गुडिया पुत्री स्व0देवी सिह पत्नि प्रदीप उर्फ नरेन्द्र जाति जाट निवासी डफलपुर हाल निवासी संजय नगर कलेक्टर कोठी के पास भरतपुर द्वारा दीपचंद फौजदार अध्यापक

1/8. श्रीमती रेणू पुत्री स्व0देवी सिह पत्नि जितेन्द्र सिह निवासी डफलपुर हाल निवासी संजय नगर कलेक्टर कोठी के पास भरतपुर द्वारा दीपचंद फौजदार अध्यापक

अपीलांट

बनाम

1. कुन्दन पुत्र चिरंजी जाति जाट निवासी डफलपुर तहसील व जिला करौली
2. देवेन्द्र सिह पुत्र कन्दन जाति जाट
3. रणवीर सिह पुत्र कुन्दन जाति जाट निवासीयान डफलपुर तहसील व जिला करौली
4. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील करौली जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व निर्णय मु0नं0 25/13 दिनांक 22.5.17 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली)

अभिभाषक अपीला0 श्री रामजीलाल अग्रवाल

अभिभाषक रैस्पो0 श्री श्याम सुन्दर शर्मा

दिनांक 20.3.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरूद्व निर्णय दिनांक 22.5.17 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण/अपीलांटगण के पिता हीरालाल द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम डफलपुर में वादी की [illegible] काश्त व खातेदारी की भूमि ख0न0 71 रकबा 5 बीघा 4 विस्वा स्थित है। जिसे सनातन से [illegible] काश्त कर अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा है। ख0न0 71 के उत्तर दिशा [illegible] कुन्दन की कब्जे काश्त व खातोदारी ख0न0 72 लगी हुई है और ख0न0 53 जो आम रास्ता है जो ख0न0 [illegible],67,72,74

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:40:08 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राज.) सत्यमेव जयते

मे होकर ग्राम डफलपुर से गंगापुर जा रहा है जो राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि से दीगर जगीन ख0न0 68,76,69,70,78 लगी हुई है। इन ख0न0 मे से कोई आम रास्ता अथवा सुगम रास्ता प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि ख0न0 71 मे पहुॅचने के लिए सिवाय ख0न0 53 आम रास्ता की भूमि उपलब्ध नही है। सायल सनातन से ख0न0 53 आम रास्ता की भूमि से दक्षिण दिशा की और वरंग सुर्ख संलग्न नजरी नक्शा ट्रेस से ही प्रार्थी के खेत ख0न0 71 मे आने का ही एक मात्र रास्ता है। जो नक्शा ट्रेस से स्पष्ट है। बरसात होने के पश्चात प्रार्थी अपने खेतो की जुताई करने के लिए आम रास्ते से लगी वरंग सुर्ख जमीन ख0न0 72 मे से होकर जाने लगा तो गैरसायल एक राय होकर लठठ गंडासी लेकर आ गये प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त के उक्त जोत को जोतने बोने मे व्यवधान डालने लग गये जबकि हाल ही मे राज्य सरकार द्वारा पारित आदेशो के तहत धारा 251 एक आर टी एक्ट के तहत प्रार्थी को अपनी काश्त भूमि मे जाने के लिए वरंग सुर्ख जमीन को रास्ते के बतौर उपयोग उपभोग करने का पूर्ण हक है। अगर सायल का खेत वगैर जुता रह गया जो काश्त करने से वंचित हो जावेगा और जमीन से मिलने वाली पैदावार सदैव की भांति उपलब्ध नही होगी जिससे सायल की आजिविका पर भारी आघात होगा। जबकि प्रार्थी उक्त प्रावधानो के तहत वरंग सुर्ख जमीन को अपने खेत मे जाने के लिए आमद रफत के लिए कानूनी अधिकार है। उक्त बरंग सुर्ख रास्ता जो करीब 60 फीट लम्बा एवं 15 फीट चौडा मौके पर संभव है जिसकी जॉच तहसीलदार करौली अथवा हल्का पटवारी से कराया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। गैरसायलान द्वारा अकारण झगडा करने पर पुलिस बल की सहायता से प्रार्थी को खेतो की जुताई बुआई कराया जाना भी न्यायहित मे आवश्यक है। उक्त रास्ते मे हदवंदी मुडिडयां से कराई जाकर सदैव का दोनो पक्षो के मध्य झगडा रास्ते को लेकर समाप्त किया जाना दोनो पक्षो के हितो मे हितकर है। इस प्रकार आराजीयात ख0न0 72 वाके ग्राम डफलपुर मे काश्त के लिए आमद रफत करने के लिए करीब 15 फीट चौडा रास्ता सायल को दिलाया जावे तथा गैरसायलान को पाबन्द किया जावे कि वरंग सुर्ख रास्ता के उपयोग उपभोग मे व्यवधान न तो स्वयं करे न दीगर व्यक्तियो से करावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थीगण/अपीलांटगण के पिता द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पों0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट ने अपनी बहस अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि के विपरीत एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवाद [illegible] बिन्दु को समझे बिना कतई परवर्स व मनमाना आदेश पारित किया है जो कानून के प्रावधानो के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अधिनियम [illegible] राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 2010 की धारा 251 ए को पढे व बिना समझे ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसके तहत

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:40:08 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

काश्तकार को अपने खेत पर आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता के अभाव मे नया मार्ग खोलने के लिए व्यवस्था दी गई है। जिसके अन्तर्गत प्रत्यके काश्तकार को यदि नक्शा ट्रेस मे रास्ता दर्ज नही है तो काश्तकार नया रास्ता 30 फीट चौडा तक दीगर काश्तकार की भूमि से नियमानुसार प्रतिफल राशि जमा करवाकर प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी है। रास्ते की भूमि को राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस मे रास्ते की भूमि का अभिलिखित करवाने का अधिकारी है। इस अहम कानूनी पहल को समझे बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो निरस्त योग्य है। संशोधित राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 2010 के अनुसार मौका रिपोर्ट गिरदावर या तहसीलदार द्वारा ही उभयपक्षकारो की उपस्थिति मे तैयार कर न्यायालय मे प्रस्तुत करने की व्यवस्था की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 16.10.15 को अधिनियम के संशोधन को पढे व समझे बिना ही हल्का पटवारी को मेडेटरी प्रोविजन की अवहेलना कर दिये जो संशोधित अधिनियम 2010 के प्रतिकूल होने के कारण बिना क्षैत्राधिकार के होने से प्रारंभ से अवैध है जिसके आधार पर पारित आदेश कानून के विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। विवादित प्रश्नाधीन भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि ख0न0 71 रकबा 5 बीघा 4 विस्वा पर आने जाने के लिए अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नक्शा ट्रेस मे कोई रास्ता दर्ज नही है। जिससे स्पष्टतः यह प्रमाणित था कि प्रार्थी के पास अपने खेत पर जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नही है व प्रार्थी को अपने खेत पर जाने के लिए रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है तथा निकटतम रास्ता मात्र विपक्षी के खेत ख0न0 72 से ही दिया जा सकता है। इस अहम कानूनी बिन्दु को नजर अंदाज कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत 4 शपथ पत्रो मे अंकित तथ्यो पर गौर न कर महज कयास के आधार पर यह मानते हुए कि प्रार्थी के भतिजे की खातेदारी भूमि ख0न0 67/2 से वैकल्पिक रास्ता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने मे अपने विवेक व उसमे निहित अधिकारो का न्यायिक विवेचन नही कर मनमाना आदेश जारी किया है जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश परवर्स,कान्ट्रेरी टू लॉ प्रिजमशन्स पर आधारित होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट उभय पक्षकारो की अनुपस्थिति मे गुप्त रूप से बनाई गई है कानूनन मौका रिपोर्ट तहसीलदार या इन्सपेक्टर लैण्ड रिकार्ड द्वारा की जानी चाहिए थी। इस विधि मेडेटरी प्रावधानो के विरूद्व पटवारी की रिपोर्ट पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.5.17 खारिज फरमाया जावे । राजस्थान अभिधृति संशोधित अधिनियम 2010 की धारा 251 ए के प्रावधानो के अधीन स्वयं मौका देखकर अपीलांट की खातेदारी आराजी ख0न0 71 पर आने जाने हेतु रेस्पो0 संख्या 1 के ख0न0 72 मे से नियमानुसार प्रतिफल राशि अपीलांट से प्राप्त कर रास्ता उपलब्ध कराने के आदेश प्रदान फरमावे।

रेस्पो0 ने अपील बहस मे तर्क दिया कि खसरा न0 71 मे जाने के लिए ख0न0 67 का शुरू से आज तक सायल/अपीलांट अपने पिता के [illegible] उपयोग करता चला आ रहा है। ख0न0 67 जो अपीलांट/सायल का पुश्तैनी [illegible] आराजी है जो ख0न0 71 से लगा हुआ है के बारे मे एक शब्द भी अपीलांट/सा[illegible] ने अपने प्रार्थना पत्र मे नही लिखा है। अपीलांट के लिए सीधा व सुगम रास्ता अपने पुश्तैनी खातेदारी की आराजी ख0न0 67 मे

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmikant Bairwa
Date: 2025.10.10 13:40:08 IST
Reason: SelfAttested

होकर सनातनकाल से रहा है जिसे अपीलांट ने छुपाया है। खसरा न0 53 से आम रास्ते से सुगम व सुविधा जनक रास्ता खसरा न0 70 व 78 जो खसरा न0 53 से लगी हुई है मे होकर भी निकल सकता है परन्तु अपीलांट ने खसरा न0 70 व 78 के खातेदारान को पक्षकार मुकदमा नही बनाया है। अपीलांट मुझ रेस्पो0 की खातेदारी की भूमि खसरा न0 72 मे से किसी भी प्रकार का रास्ता निकलवाने का अधिकारी नही है। क्योकि रेस्पो0 की खातेदारी से लगी हुई भूमि खसरा न0 67 है जो खसरा न0 71 से भी लगी हुई है जो अपीलांट की पुश्तैनी है और पूर्व से अपीलांट सनातनकाल से ख0न0 67 का उपयोग उपभोग रास्ते के लिए करता रहा है। जब अपीलांट के पास वैकल्पिक एवं सुगम एवं सीधा रास्ता उपलब्ध है तब वह धारा 251 ए आर टी एक्ट के तहत किसी भी अन्य खातेदार से रास्ता लेने के लिए अधिकारी नही है। धारा 251 ए आर टी एक्ट की मंशा केवल काश्तकारी भूमि मे काश्त के समय ही जब तक कोई सुगम व सुविधा जनक रास्ता किसी काश्तकार को अपने भूमियो मे पहुॅचने के लिए नही होता है , के लिए ही बनाया गया है । धारा 251 ए आर टी एक्ट की मंशा यह नही है कि किसी भी खातेदार की भूमि मे लठठ व ताकत के बल पर इस धारा की आड मे उसकी जमीन को हडपना नही है। अपीलांट मुझ रेस्पो0 से दुश्मनी रखता है कई बार रेस्पो0 के साथ फौजदारी कर चुका है और धारदार हथियारो से वार कर चुका है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस गलत पेश किया है। अपीलांट द्वारा ख0न0 70 से लगे हुए रास्ते व 78 से लगे हुए रास्ते का नक्शा ही प्रस्तुत नही किया है। जबकि वास्तविकता यह है कि अपीलांट की पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 67 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा का है जो ख0न0 71 से लगा हुआ है। खसरा न0 67 आम रास्ता से सटेवा है खसरा न0 67 मे होकर ही खसरा न0 71 मे अपीलांट व अपीलांट का पिता प्रवेश करते आये है और वर्तमान मे भी ख0न0 67 का उपयोग उपभोग खसरा न0 71 मे प्रवेश के रास्ते के लिए कर रहा है। हीरालाल व हीरालाल का भाई सूखा दोनो बंशी की संताने है और खसरा न0 71 व 67 दोनो ही उनके पुश्तैनी खातेदारी की है। सनातन काल से बंशी व उसके पुत्र सुका व हीरालाल ख0न0 67 मे होकर ही खसरा न0 71 मे प्रवेश करते रहते रहे है। खसरा न0 67 का करीब 40 फुट का रास्ता खसरा न0 72 से लगा हुआ है। खसरा न0 67 व 72 की 40 फुट की डोल एक ही है। कुछ समय पूर्व सुका व हीरालाल के मध्य बंटवारा हुआ है हीरालाल ने जानबूझकर इस वास्तविक और सत्य कथन को छुपाया है। अपीलांट रास्ते के बहाने रेस्पो0की खातेदारी भूमि खसरा न0 72 मे प्रवेश कर लठठ के बल पर रेस्पो0 की तन्हा खातेदारी की जमीन को छीनना चाहता है। अपीलांट रेस्पो0 की आराजीयात मे से किसी भी प्रकार रास्ता लेने का हकदार नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट एवं अपीलांट का पूर्व से रास्ता मौजूद होने के विधिक तथ्य के मद्देनजर ही सायल/अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 251 ए सही रूप से खारिज किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:40:08 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। इससे यह तथ्य सामने आया कि अधिनस्थ न्यायालय मे सायल/अपीलांट के पिता द्वारा अपनी खातेदारी की आराजीयात खसरा न0 71 मे पहुॅच हेतु कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

वैकल्पिक रास्ता नही होने का कथन किया जाकर गैरसायलान/रेस्पो0 की आराजीयात ख0न0 72 मे रास्ता चाहा गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात के रास्ते के संबंध मे पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त करने के आदेश पारित किये गये। जबकि रास्ते के मामलो मे कम से कम भू अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की रिपोर्ट ही मान्य होती है । इसी प्रकार पत्रावली मे दो अलग अलग पटवारी की रिपोर्ट संलग्न है। प्रथम रिपोर्ट दिनांक 5.11.15 को पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है दूसरी रिपोर्ट दिनांक 22.5.17 को तैयार की गई है। दोनो रिपोर्ट विरोधाभासी है। जिससे स्थिति स्पष्ट नही होती है। दोनो की रिपोर्ट मे आराजी खसरा न0 71 पर पहुँच का रास्ता खसरा न0 72 मे दिया जाना एवं नही दिया जाना प्रस्तावित है, इस प्रकार का कोई उल्लेख नही है, साथ ही दोनो रिपोर्ट पर किसी भी पक्षकार की उपस्थिति के बाबत हस्ताक्षर या अगूठा निशानी भी अंकित नही है। इस प्रकार दोनो रिपोर्ट अपूर्ण रिपोर्ट है। जो विधि के प्रावधानो के तहत उभयपक्षो की मौजूदगी मे तैयार नही की गई है, साथ ही अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर हुआ कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 2.5.17 मे नियत कर रखी है एवं सीधे ही पत्रावली को दिनांक 22.5.17 राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प जहाँगीरपुर मे नियत कर उभयपक्षो की उपस्थिति दर्ज की गई है जबकि आदेशिका दिनांक 22.5.17 पर कुन्दन एवं अभिषेक सिह के हस्ताक्षर है, जबकि अभिषेक सिह नाम का कोई व्यक्ति अदालत मातहत मे पक्षकार ही नही है। तो किस प्रकार उभयपक्षो की उपस्थित दर्ज की गई है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्पष्ट रूप से एक पक्षीय आदेश जाहिर होता है। जो निरस्त योग्य है एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को विवादित आराजीयात की मौका रिपोर्ट कम से कम भू अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी से उभयपक्ष की मौजूदगी मे तैयार करवाई जाकर प्राप्त रिपोर्ट एवं उभयपक्षो का साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने हेतु पुनःनिर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर करौली के प्रकरण संख्या 25/2013 निर्णय दिनांक 22.5.17 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित आराजीयात की मौके की कम से कम भू अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी से मौका रिपोर्ट उभयपक्ष की मौजूदगी मे तैयार करवाई जाकर, प्राप्त रिपोर्ट पर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष का पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर करौली के यहाँ दिनांक 20.5.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2025 को लिखाया जाकर इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:40:08 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर